पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना।

अधिसूचना

8297(S)

संचिका संख्या–प्र0–7 / विविध–04–66 / 2026 **पटना, दिनांक** – 18/11/2026

बिहार पथ उपयोगकर्ता शुल्क (दरों का संग्रहण एवं निर्धारण) नियमावली–2026 के नियम (जिसे इसके पश्चात् नियम कहा जाएगा) के शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पथ निर्माण विभाग, बिहार सरकार एतद् द्वारा, **बिहार राज्य के राज्य उच्च पथ SH-12 आरा–सासाराम पथ खण्ड–1 जिसकी वास्तविक लम्बाई 60 किमी है** के उपयोग के लिए नीचे दिए गए सारणी–1 के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट आधार दर का कॉलम (1) में विनिर्दिष्ट वाहन के प्रकार पर शुल्क उदगृहीत करती है और बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि0 (जिसे आगे बि0एस0आर0डी0सी0एल0 या निष्पादन प्राधिकार कहा जाएगा) को अपने अधिकारियों या किसी संविदाकार के माध्यम से उक्त शुल्क को संग्रहीत करने के लिए प्राधिकृत करती है, अर्थात :–

सारणी –1	
वाहन का प्रकार	**आधार वर्ष 2026–27 के लिए प्रति कि.मी. आधार शुल्क दर (रूपए में)**
(1)	**(2)**
कार, जीप, वैन अथवा हल्के मोटर वाहन	1.25
हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के मालवाहक वाहन अथवा मिनी बस	2.00
बस अथवा ट्रक (दो धुरी वाले)	4.25
तीन धुरी वाले वाणिज्यिक वाहन	4.60
भारी निर्माण मशीनरी (एच.सी.एम.) अथवा अर्थ मूविंग उपस्कर (ई.एम.ई) अथवा बहुधुरीय वाहन (एम.ए.वी.) (चार से छह धुरी वाले)	6.65
बड़े आकार वाले वाहन (सात अथवा अधिक धुरी वाले)	8.10

1. इसके अंतर्गत उदगृहीत और संग्रहीत शुल्क ऐसे शुल्क प्लाजाओं के अंतर्गत विनिर्दिष्ट दूरी हेतु निम्नलिखित शुल्क प्लाजाओं में देय और संदेय होगी, अर्थात :–

सारणी–2		
टोल प्लाजा का स्थान (चेनेज)	**लंबाई (किमी में) जिसके लिए शुल्क संदेय**	**दर जिस पर शुल्क संदेय है**
बिहार राज्य के भोजपुर जिले में गड़हनी बाजार के समीप चेनेज 16+000 पर	60 किमी (60 मी से अधिक संरचना की लंबाई को छोड़कर)	शोल्डर सहित 2 **(दो) लेन** (लगभग 10 मीटर चौड़ाई)के लिए उपरोक्त सारणी–1 में उल्लिखित आधार दरों का **60%**

2. उक्त सारणी–2 के अनुसार उपयोगकर्ता शुल्क के निर्धारण के क्रम मे नियमावली के नियम–4 के उपनियम–4(10) का अनुपालन किया जाएगा।
3. निम्नलिखित वाहन के प्रकारों को फीस की संदाय से छूट प्राप्त होगी :–
   3.1 कार, जीप, वैन या हल्के मोटर वाहन जिनका पंजीकरण गैर वाणिज्यिक प्रयोग के लिए है ।
   3.2 जहाँ सर्विस या वैकल्पिक क्रियान्वयन सड़क उपलब्ध है तथा किसी दुपहिया का स्वामी, चालक या उसका भारसाधन व्यक्ति यथास्थिति, परियोजना/राज्यमार्ग के सेक्शन, स्थायी पुल, उपमार्ग या सुरंग का उपयोग कर रहा है।
4. राजमार्ग खण्ड पर बहुयात्राओं हेतु पास निम्नलिखित दरों पर जारी किया जाएगा, अर्थात्:–

सारणी–3		
संदेय धनराशि	**अनुज्ञात एकतरफा यात्राओं की अधिकतम संख्या**	**विधिमान्यता की अवधि**
एकतरफा यात्रा के लिए शुल्क का डेढ़ गुना	दो	भुगतान के समय से चौबीस घंटे
पचास एकल यात्राओं के लिए भुगतान–योग्य शुल्क की राशि का दो–तिहाई	पचास	भुगतान की तारीख से एक मास

5. उद्गृहीत फीस की वसूली इस नियमावली के नियम 6 एवं 6 (क) के प्रावधानों के अनुसार बि0एस0आर0डी0सी0एल0 द्वारा की जाएगी।
6. संबंधित श्रेणी के वाहनों के लिए विनिर्दिष्ट अनुज्ञेय भार से अधिक भार लदे यांत्रिक वाहन का चालक या स्वामी या प्रभारी व्यक्ति, संबंधित पथांश पर अतिभार लदे वाहन के प्रवेश के लिए टोल संग्रहण एजेंसी को ऐसी श्रेणी के वाहनों के प्रवेश के लिए, कथित नियमों के नियम 10 के अनुसार अनुप्रयोज्य शुल्क के समतुल्य शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।
7. सभी परिभाषाएं, यांत्रिक वाहनों की श्रेणी, इनके अनुज्ञेय भार, छूट प्राप्त वाहनों की श्रेणी, सर्विस रोड, वैकल्पिक सड़क इत्यादि नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुरूप होंगी।
8. उपर्युक्त सारणी –1 में यथा–उल्लिखित आधार वर्ष 2026–27 के लिए प्रति किलोमीटर शुल्क की आधार दर के आधार पर यांत्रिक वाहनों से शुल्क की वास्तविक राशि और छूटों की गणना प्राधिकरण द्वारा खंड की पूरी हो गई लंबाई के आधार पर की जाएगी तथा इसकी सूचना पथ निर्माण विभाग को भेजी जाएगी। उसे उक्त नियमों के नियम 5 के अनुसार प्रति वर्ष संशोधित किया जाएगा तथा तदनुसार उसे अंग्रेजी और हिन्दी भाषा के कम से कम एक–एक समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाएगा, जिसका उस क्षेत्र में व्यापक परिचालन हो।
9. उक्त नियमों के नियम 12 के अनुसार, उपयोगकर्ताओं की जानकारी के लिए शुल्क की दरों को प्रदर्शित किया जाएगा।
10. इस परियोजना की अनुमानित पूंजीगत लागत लगभग 72.51 **करोड़** रूपए है। OPRMC एवं अन्य मदो के अधीन हुए व्यय की राशि की गणना की जा रही है, इसलिए व्यय की राशि परिवर्तन के अध्यधीन है।प्राप्त उपयोगकर्ता शुल्क के माध्यम से वसूल की गई लागत का बि0एस0आर0डी0सी0एल0 द्वारा रिकार्ड रखा जाएगा।

ह०/–
संयुक्त सचिव (प्रबंधन कोषांग)
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– प्र०7/विविध –04–66/2026– दिनांक–.....

प्रतिलिपि :–महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
संयुक्त सचिव (प्रबंधन कोषांग)
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– प्र०7 / विविध –04–66 / 2026– दिनांक–.....

प्रतिलिपि :– :– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को सूचनार्थ एवं बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में 1000 प्रतियाँ मुद्रित कराकर विभाग को उपलब्ध कराया जाए।

ह० / –
संयुक्त सचिव (प्रबंधन कोषांग)
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– प्र०7 / विविध –04–66 / 2026– दिनांक–.....

प्रतिलिपि :– सभी अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव / सभी विभागध्यक्ष, सभी विभाग / सभी प्रमंडलीय आयुक्त / सभी जिला पदाधिकारी / सभी निकाय, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह० / –
संयुक्त सचिव (प्रबंधन कोषांग)
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– प्र०7 / विविध –04–66 / 2026– दिनांक–.....

प्रतिलिपि :– अभियंता प्रमुख (कार्य प्रबंधन), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना / अभियंता प्रमुख (मुख्यालय), पथ निर्माण विभाग,बिहार, पटना / सभी मुख्य अभियंता(रा0उ0प0 उपभाग सहित) / सभी अधीक्षण अभियंता (रा0उ0प0 उपभाग सहित) / सभी कार्यपालक अभियंता (रा0उ0प0 उपभाग सहित), पथ निर्माण विभाग, बिहार / मुख्य महाप्रबंधक, बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि0, बिहार, पटना / प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि0, बिहार, पटना / मुख्यालय में पदस्थापित सभी राजपत्रित पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह० / –
संयुक्त सचिव (प्रबंधन कोषांग)
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

संचिका संख्या–प्र0–7 / विविध–04–66 / 2026 दिनांक –.....

प्रतिलिपि :– माननीय मंत्री, पथ निर्माण विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ।

ह० / –
संयुक्त सचिव (प्रबंधन कोषांग)
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– प्र०7 / विविध –04–66 / 2026– 8298(3) दिनांक– 18/11/2026

प्रतिलिपि :– आई. टी. मैनेजर की विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं ई–गजट में प्रकाशन हेतु एमएस वर्ड की प्रति सीडी में उपलब्ध कराते हुए आवश्यक कार्रवाई करने के लिए प्रेषित।

18.11.2026

संयुक्त सचिव (प्रबंधन कोषांग)
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।